Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Land Dispute Appeal No.- 01/2016

Tarni Rishideo & Ors.....Appellants

Versus

Kamli Devi & Ors.....Respondents

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	04-10-2024	**—:आदेश:—** प्रस्तुत अपील न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बनमनखी द्वारा B.L.D.R वाद सं0— 38/2014—15 में दिनांक—29.6.2015 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। विलंब क्षांत हेतु पृथक आवेदन दाखिल है। उभय पक्ष उपस्थित। सुना। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा— धरहरा, मिलिक, थाना सं0— 50, थाना— बनमनखी, खाता सं0— 07, खेसरा सं0— 33, रकवा— 1.07 एकड भूमि विवादित है। उक्त भूमि अपीलार्थी को दिनांक— 24.12.2004 को हरा कार्ड के रूप में रैयती पर्चा प्राप्त है। उत्तरवादी द्वारा इनके दखल—कब्जें में व्यवधान किये जाने के विरूद्ध वर्श, 2014 में उत्तरवादी द्वारा निम्न न्यायालय में उक्त वाद दायर किया गया। अपीलार्थी उक्त भूमि के बटाईदार रैयत है, जिन्हें विधिवत उक्त भूमि का हरा कार्ड प्राप्त है तथा नामांतरण वाद सं0— 70/1999—2000 द्वारा इनके पक्ष में जमाबंदी सं0— 46 अंकित है और ये भू—लगान भुगतान कर रहे है। उत्तरवादी द्वारा गलत तरीके से दखल—कब्जा दिखाकर इनके पिता के पक्ष में पर्चा प्राप्त कर लिया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी, बनमनखी द्वारा धारा—144 Cr.P.C के अंतर्गत वाद सं0—135M/2008 में कमली देवी को अवैध रैयत घोशित किया गया है। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बनमनखी के समक्ष सिलिंग अधिनियम की धारा 22(1) के अंतर्गत वाद सं0— 07/2007 विचारण हेतु लंबित है, जिस तथ्य को उत्तरवादी ने छिपा लिया है। निम्न न्यायालय द्वारा इन तथ्यों की अनदेखी करते हुए आदेश पारित किया गया है, जो सही नही है। इनका आगे कथन है कि निम्न न्यायालय आदेश तथ्यों से परे एवं अवैध है। अपीलार्थी के पिता गुनेश्वर ऋशिदेव को वर्श 1996 में उक्त भूमि के पश्चिम तरफ से रकवा 53.5 डी0 भूमि का बॅटाईदार घोशित किया गया है। वर्श 2004 में B.T.Act की धारा— 48D के अंतर्गत रैयती पर्चा निर्गत है। निम्न न्यायालय द्वारा वाद सं0— 07/2007 के लंबित रहने के दरमियान इस वाद में किसी प्रकार का आदेश नही किया जाना चाहिए था। निम्न न्यायालय आदेश विधि सम्मत नही है। इस प्रकार इनकी ओर से अपील स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। दूसरी तरफ उत्तरवादी प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रस्तुत अपील तथ्यों एवं कालबाधित होने के आधार पर पोशणीय नही है। प्रश्नगत भूमि 1.07 एकड़ मूलतः सिहेश्वर साह उर्फ मांगन लाल साह की थी, जिसे अधिशेश घोशित करते हुए अधिसूचना सं0— 2558, दिनांक— 26.7.1987 द्वारा अधिग्रहित किया गया। सिहेश्वर साह की मृत्यु पश्चात इनके सभी	

Web copy. Not Official.

Land Dispute Appeal No.- 01/2016

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	<u>लगातार</u> **04-10-2024**	वारिशानों को प्रतिस्थापित करते हुए पुनः सिलिंग अधिनियम की धारा–15 (i) के अंतर्गत पुनः अधिसूचना सं0– 3063, दिनांक– 24.12.2004 प्रकाशित हुई। उत्तरवादी प्रश्नगत भूमि के बॅटाईदार थे जिन्हें कालान्तर में वाद सं0– 8/2006–07 द्वारा हरा कार्ड निर्गत है तथा इनके पक्ष में नामांतरण होते हुए जमाबंदी दर्ज है और ये भू–लगान का भुगतान कर रहे है। अपीलार्थियों द्वारा इनके दखल–कब्जे में व्यवधान के विरूद्ध निम्न न्यायालय में वाद दायर किया गया। निम्न न्यायालय द्वारा स्थलीय जॉच में इनका दखल–कब्जा पाया गया। अपीलार्थियों द्वारा लगभग 9 वर्शो बाद इनके हरा कार्ड को अवैध बताया जा रहा है, जा सही नहीं है। अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत भूमि का रैयती पर्चा प्राप्त होने का दावा अवैध है। अपीलार्थी का यह कथन गलत है कि अनुमंडल पदाधिकारी, बनमनखी द्वारा धारा 144 Cr.P.C के तहत इनके विरूद्ध आदेश पारित किया गया है इनके पक्ष में विधिवत निर्गत हरा कार्ड के विरूद्ध 01 वर्श बाद अपीलार्थी द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बनमनखी के समक्ष वाद सं0– 7/2007 दायर किया गया ह, जो पोशणीय नही है। प्रश्नगत भूमि उत्तरवादी प्रथम पक्ष को विधिवत हरा कार्ड के रूप में प्राप्त है। जिस पर ये शांतिपूर्वक दखलकार है तथा भू–लगान भुगतान कर रह है। निम्न न्यायालय आदेश के आलोक में अंचलाधिकारी, बनमनखी द्वारा उभय पक्षों एवं ग्रामीणों की उपस्थिति में प्रश्नगत भूमि की मापी कराते हुए सीमांकन किया गया है। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश सही है। इस प्रकार इनकी ओर से अपील अस्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। उभय पक्षों को सुनने, निम्न न्यायालय आदेश एवं अभिलेख में संलग्न सु–संगत सभी कागजातों के अवलोकन तथा समीक्षोपरांत स्पश्ट है कि राजस्व कार्यालय, पूर्णिया द्वारा अर्जित भूमि अधिसूचना सं0– 3063, दिनांक– 24.12.2004 को अधिशेश घोशित पश्चात वाद सं0– 8/2006–07 द्वारा उत्तरवादिनी को प्रश्नगत भूमि का रैयती परवाना निर्गत है। रैयती परवाना को अपीलार्थी द्वारा किसी भी न्यायालय में चुनौति नही दी गई है। फलस्वरूप वर्त्तमान में उक्त परवाना अस्तित्व में बना हुआ है तथा उत्तरवादिनी के पक्ष में प्रश्नगत भूमि का लगान 2024–25 तक अद्यतन भुगतान है। जिसे उत्तरवादिनी के दावे की पुश्टि होती है। अतः उपरोक्त के आलोक में निम्न न्यायालय आदेश को विधि सम्मत एवं न्यायोचित पाते हुए सम्पुश्ट किया जाता है। अपील आवेदन अस्वीकृत। अपीलार्थी यदि चाहे तो रैयती परवाना के विरूद्ध सक्षम प्राधिकार/न्यायालय के समक्ष वाद दायर कर सकते है। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति निम्न न्यायालय को भेजें। लेखापित एवं सशोधित आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।	

Web copy. Not Official.